[2020] 3 उम. नि. प. 174

मेघालय राज्य

बनाम

मेलविन सोहलांगपियाव

[2018 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 1218]

11 फरवरी, 2020

न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतानागौडर और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

संविधान, 1950 – छठी अनुसूची का पैरा 4 और 5 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 1 और संयुक्त खासी-जयंतिया हिल्स स्वशासी जिला (न्याय प्रशासन) नियम, 1953 का नियम 9] – स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन – अभियुक्त-प्रत्यर्थी और आहत दोनों खासी अनुसूचित जनजाति के होना – हत्या के अपराध के लिए अभियुक्त के विचारण को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया जाना – जहां खासी जनजातीय क्षेत्रों में घटित विनिर्दिष्ट प्रकृति के आपराधिक मामले का अभियुक्त तथा आहत दोनों अनुसूचित जनजाति के हों, वहां अभियुक्त के विरुद्ध मामले का विचारण इस बात के होते हुए कि आपराधिक मामले में राज्य विधित: एक पक्षकार होता है और उसे अनुसूचित जनजाति का नहीं समझा जा सकता है, खासी जिला परिषद् न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

इस मामले के तथ्यों के अनुसार, प्रत्यर्थी-अभियुक्त, जो खासी अनुसूचित जनजाति का है, उसके विरुद्ध हत्या के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया था । मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय, पश्चिमी खासी हिल्स जिला के न्यायाधीश के सुपुर्द किया गया था । अपराध की शिकार भी अनुसूचित जनजाति की थी । अभियुक्त ने इस आधार पर कि मामले में दोनों पक्षकार अनुसूचित जनजजाति के हैं, मामले को खासी हिल्स स्वशासी जिला परिषद् न्यायालय, शिलांग में अंतरित करने के लिए मेघालय उच्च न्यायालय में एक याचिका फाइल की । उच्च

न्यायालय द्वारा अभियुक्त की याचिका को मंजूर किया गया । राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष इजाजत याचिका फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – संविधान की छठी अनुसूची के अधीन, पैरा 4 और 5 छठी अनुसूची के पैरा 2 में निर्दिष्ट स्वशासी जिलों और स्वशासी क्षेत्रों में न्याय प्रशासन के संबंध में हैं । पैरा 4(1) यथास्थिति, जिला परिषद् या क्षेत्रीय परिषद् को वहां वादों और मामलों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए न्यायालयों का गठन करने की शक्ति देती है जहां ऐसे क्षेत्रों में उनके सभी पक्षकार अनुसूचित जनजातियों के हैं । तथापि, यह उन वादों और मामलों को लागू नहीं होता है, जो छठी अनुसूची के पैरा 5(1) के अंतर्गत आते हैं, जिसमें राज्यपाल जिला या क्षेत्रीय परिषद् को, या किसी जिला परिषद् द्वारा गठित किए गए न्यायालय या राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकता है, जैसा कि राज्यपाल उचित समझे । इसके अतिरिक्त, पैरा 4(4) में यह अनुबंधित है कि जिला परिषद् द्वारा गठित किए गए न्यायालयों को, जिला परिषद् या क्षेत्रीय परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना होगा । प्रस्तुत मामले में, संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 4(4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त खासी-जयंतिया हिल्स स्वशासी जिला (न्याय प्रशासन) नियम, 1953 अंगीकार किए गए थे । इनके अधीन नियम 9 में खासी हिल्स स्वशासी जिला के लिए एक जिला परिषद् न्यायालय के गठन और उसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपबंध किया गया है । नियम 9 और छठी अनुसूची के पैरा 5(1) के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 7 फरवरी, 2017 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी । इसके द्वारा मेघालय के राज्यपाल ने जिला परिषद् न्यायालय, शिलांग के लिए एक अपर न्यायाधीश नियुक्त किया था और उसे भारतीय दंड संहिता या खासी हिल्स स्वशासी जिला परिषद् को लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु से, आजीवन निर्वासन से या 5 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों का

विचारण करने की शक्तियां प्रदत्त की थीं । पैरा 5(1) के अधीन, राज्यपाल को जिला या क्षेत्रीय परिषद् को, या किसी जिला परिषद् द्वारा गठित किए गए न्यायालयों को, या इस निमित्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदत्त करने की शक्ति विनिहित की गई है, जो वह कतिपय वादों, मामलों और अपराधों के विचारण के लिए उचित समझे । कतिपय दृष्टांतों में दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्तियों के प्रदत्त किए जाने से, जैसा कि यहां तारीख 7 फरवरी, 2007 की अधिसूचना द्वारा किया गया है, यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि जिला परिषद् न्यायालय को दांडिक मामलों को, इस बात के होते हुए कि राज्य ऐसे मामलों में विधित: शिकायतकर्ता होता है और उसे एक जनजाति पक्षकार के रूप में नहीं समझा जा सकता है, ग्रहण करने की अधिकारिता है । वास्तव में, इससे छठी अनुसूची के पैरा 4 के अधीन 'मामला शब्द' को एक व्यापक अर्थ देने का आशय प्रतिबिंबित होता है । 'मामले' शब्द का ऐसा अनुशीलन करना इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि पैरा 5 में राज्यपाल को केवल उन मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करने के लिए सशक्त किया गया है जहां अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन दंड पांच वर्ष से अन्यून नहीं है । आवश्यक विवक्षा के तौर पर, राज्यपाल पैरा 5(1) में वर्णित निकायों में से किसी निकाय में उन अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्तियों को विनिहित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, जहां दंड पांच वर्ष से कम है । पैरा 5 को पैरा 4 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर अपरिहार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे सभी दांडिक मामले छठी अनुसूची के पैरा 4 के अधीन गठित न्यायालयों द्वारा, इस बात के होते हुए कि राज्य विधित: शिकायतकर्ता होता है, विचारण करने योग्य हैं जब तक कि अभियुक्त और अपराध का शिकार व्यक्ति उसी अनुसूचित जनजाति के हैं । इस प्रकार, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, 'मामले' शब्द से दांडिक मामले केवल इस कारण विवर्जित नहीं हो जाते हैं कि ऐसे मामलों में राज्य एक पक्षकार होता है । छठी अनुसूची के पैरा 4 और 5 को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि "ऐसे पक्षकारों के बीच वाद और मामले जिनमें सभी पक्षकार अनुसूचित जनजातियों के हैं," के प्रतिनिर्देश वास्तव में प्रभावित पक्षकार (विपदग्रस्त/शिकायतकर्ता) और

अभियुक्त पक्षकार के लिए है । प्रस्तुत मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विपदग्रस्त तथा प्रत्यर्थी-अभियुक्त दोनों खासी अनुसूचित जनजाति के हैं । इस प्रकार, इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि तारीख 7 फरवरी, 2017 को जारी की गई एक विनिर्दिष्ट अधिसूचना है जो जिला परिषद् न्यायालय को कतिपय दांडिक अपराधों का विचारण करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्तियां प्रदत्त करती है, हमारा यह निष्कर्ष है कि ऐसे प्रदत्तकरण को प्रभावी किया जाना चाहिए । वास्तव में, छठी अनुसूची के पैरा 4 और 5 का संयुक्त अनुशीलन करने पर, ऐसे जिला परिषद् न्यायालय को ऐसे किसी मामले को ग्रहण करने की अनन्य अधिकारिता है । (पैरा 7, 8, 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] (2012) 1 गुवाहाटी ला रिपोर्ट्स 812 :
लोंगसन खोंगंगेन बनाम **मेघालय राज्य** । 4

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 1218.

2017 की अंतरण याचिका (दांडिक) सं. 4 में मेघालय उच्च न्यायालय, शिलांग के तारीख 5 दिसंबर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री रंजन मुखर्जी, उपेन्द्र मिश्र, अविजित मणि त्रिपाठी के. वी. खरलिंग्दोह, सी. के नायक, सी. एस. नेगी, (सुश्री) श्रुति राम कोचर और चेतन जोशी

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री लिज़ मैथ्यू, श्री नवनीत आर. और सुश्री सोनाली जैन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतानागौडर ने दिया ।

न्या. शांतानागौडर – इस मामले में प्रत्यर्थी, जो खासी अनुसूचित

जन जाति का सदस्य है, का सेशन न्यायाधीश, नोंगस्टोइन, खासी हिल्स जिला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विचारण किया जा रहा था । संक्षेप में, अभियोजन पक्ष द्वारा गठित किया गया मामला यह है कि तारीख 26 मार्च, 2017 को नोनडेइन नदी के किनारे पर एक शव पड़ा हुआ पाया था, इसके अनुसरण में पुलिस थाना नोंगस्टोइन (शिकायतकर्ता) के भारसाधक अधिकारी को सूचित किया गया और उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषण के उपरांत, मृतक व्यक्ति की शनाख्त की गई और उसे भी खासी अनुसूचित जनजाति की सदस्या पाया गया । इसके पास से बरामद किए गए सिम कार्ड के प्रयोग से इसका नम्बर प्रयोग करके की गई अंतिम काल इस मामले में प्रत्यर्थी (अभियुक्त) को की गई पाई गई । परिणामस्वरूप, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और वह स्वेच्छापूर्वक पुलिस को घटनास्थल पर लेकर गया जहां उसने शव को दफ़नाया था । तारीख 31 अगस्त, 2017 को उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन एक आरोप पत्र फाइल किया गया । तारीख 8 नवंबर, 2017 को मामला विचारण के लिए सेशन न्यायाधीश, नोंगस्टोइन, पश्चिमी खासी हिल्स जिला के न्यायालय को सुपुर्द किया गया और अभियुक्त को उसके समक्ष उपसंजात होने के लिए समन किया गया । तथापि, अभियुक्त ने इस आधार पर कि प्रस्तुत मामले में दोनों पक्षकार जनजाति के हैं और इसलिए मामला अनन्य रूप से जिला परिषद् न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मामले को खासी हिल्स स्वशासी जिला परिषद्, शिलांग के न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष अंतरण के लिए एक याचिका प्रस्तुत की । मेघालय उच्च न्यायालय ने तारीख 5 दिसंबर, 2017 के आक्षेपित निर्णय द्वारा यह याचिका मंजूर की । प्रस्तुत विशेष इजाजत याचिका उच्च न्यायालय के उसी आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. प्रारंभ में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वह क्षेत्र जहां कथित रूप से अभिकथित अपराध घटित हुआ है, पश्चिमी खासी हिल्स जिला है, जो कि भारत के संविधान ('संविधान') की छठी अनुसूची के पैरा 20, जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है, से संलग्न सारणी में सम्मिलित एक

अधिसूचित स्वशासी जिला है । विनिर्दिष्ट रूप से, ऐसे क्षेत्रों में न्याय वितरण का पहलू संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 4 और 5 के अधीन आता है जो कि निम्न प्रकार से है :–

"4. **स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन** – (1) स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की जिला परिषद् ऐसे क्षेत्रों से भिन्न जो उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे वादों और मामलों के विचारण के लिए जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी पक्षकार ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उन वादों और मामलों से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उस राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकेगी और उपयुक्त व्यक्तियों को ऐसी ग्राम परिषद् के सदस्य या ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो इस अनुसूची के पैरा 3 के अधीन बनाई गई विधियों के प्रशासन के लिए आवश्यक हों ।

* * * *

(4) यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् –

(क) ग्राम परिषदों और न्यायालयों का गठन और इस पैरा के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां ;

(ख) इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन वादों और मामलों के विचारण में ग्राम परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) इस पैरा के उप पैरा (2) के अधीन अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् अथवा

ऐसी परिषद् द्वारा गठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेश का प्रवर्तन ;

(ङ) इस पैरा के उप पैरा (1) और उप पैरा (2) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य सभी आनुषंगिक विषय ।

* * * *

5. **कुछ वादों, मामलों और अपराधों के विचारण के लिए प्रादेशिक परिषदों और जिला परिषदों को तथा किन्हीं न्यायालयों और अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 [अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखें] के अधीन शक्तियों का प्रदान किया जाना** – (1) राज्यपाल, किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में किसी ऐसी प्रवृत्त विधि से, जो ऐसी विधि है जिसे राज्यपाल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उद्भूत वादों या मामलों के विचारण के लिए अथवा भारतीय दंड संहिता के अधीन या ऐसे जिले या प्रदेश में तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु से, आजीवन निर्वासन से या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए, ऐसे जिले या प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् को अथवा ऐसी जिला परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को, यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जो वह समुचित समझे और तब उक्त परिषद् न्यायालय या अधिकारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादों, मामलों या अपराधों का विचारण करेगा ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

3. याची की ओर से विद्वान काउंसेल ने इन उपबंधों का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि ऐसे वादों या मामलों पर जिला परिषद्

न्यायालय की अनन्य अधिकारिता होने के लिए संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 4 के अधीन किसी वाद या मामले के सभी पक्षकार आवश्यक रूप से अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए । उन्होंने यह दलील दी कि इस बात को देखते हुए कि किसी आपराधिक मामले को सदैव राज्य द्वारा अभियोजित किया जाता है, प्रत्यर्थी के विरुद्ध वर्तमान मामले को दो जनजातियों के बीच विवाद होना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मृतका ऐसे किसी मामले में पक्षकार नहीं है और हो नहीं सकती है । उन्होंने यह भी दलील दी कि शिकायतकर्ता अर्थात् पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भी मामले का एक पक्षकार नहीं समझा जा सकता है क्योंकि वह अपनी पदीय हैसियत में कार्य कर रहा था और इस प्रकार राज्य मशीनरी का भाग है ।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से विद्वान काउंसेल ने इस बात पर बल दिया कि संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 4 और पैरा 5 के संयुक्त पठन से जनजाति क्षेत्रों के विवादों के न्यायनिर्णयन की एक विशेष व्यवस्था उपदर्शित होती है जिसे अवश्य ही लागू किया जाना चाहिए । जहां राज्यपाल पैरा 5(1) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और जिला परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों को कतिपय प्रकार के अपराधों का विचारण सौंपता है, तो ऐसे न्यायालयों को अवश्य ही अनन्य अधिकारिता होनी चाहिए । इस संबंध में, विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान तारीख 7 फरवरी, 2017 की अधिसूचना की ओर आकर्षित किया, जिसके द्वारा मेघालय के राज्यपाल ने अपर जिला परिषद् न्यायालय, शिलांग के न्यायाधीश को भारतीय दंड संहिता या तत्समय खासी हिल्स स्वशासी जिला परिषद् में लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु, आजीवन निर्वासन या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण की शक्तियां प्रदत्त की गई थीं । इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध मामले की अधिकारिता अनन्य रूप से जिला परिषद् न्यायालय को है । इस संबंध में **लोंगसन खोंगंगेन** बनाम **मेघालय राज्य**[1] वाले मामले में मेघालय उच्च न्यायालय की एक पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय का भी अवलंब लिया ।

---

[1] (2012) 1 गुवाहाटी ला रिपोर्ट्स 812.

5. अभिलेख पर सामग्री और पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के उपरांत, जो मुख्य विवाद्यक हमारे विचार के लिए उद्भूत होता है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी के विरुद्ध दांडिक मामला संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 4 और 5 की स्कीम और भाषा को ध्यान में रखते हुए अनन्य रूप से जिला परिषद् न्यायालय द्वारा विचारणीय है या नहीं ।

6. छठी अनुसूची के उपबंधों पर विचार करने से पूर्व, यह उल्लेखनीय है कि सेशन न्यायालय जिसके समक्ष प्रत्यर्थी विचारण का सामना कर रहा था, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन स्थापित और कार्य करने वाला न्यायालय है । महत्वपूर्ण रूप से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि संहिता जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है । साथ ही साथ, यह धारा राज्य सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्तन को जनजाति क्षेत्रों पर विस्तार करने की शक्ति देती है जो निम्न प्रकार से है :–

"**धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 है ।

2. इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध –

(क) नागालैंड राज्य को,

(ख) जनजातीय क्षेत्रों को,

लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपांतरणों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, 'जनजाति क्षेत्र' से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले,

संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं ।"

जैसा कि ऊपर देखा गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 में आने वाली "जनजाति क्षेत्र" अभिव्यक्ति संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची में उपदर्शित क्षेत्रों के प्रति निर्देश करती है । राज्य सरकार द्वारा, ऊपर निर्दिष्ट तीन अध्यायों के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार ऐसे क्षेत्रों तक करने के लिए अधिसूचना के अभाव में, दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध खासी हिल्स जिला सहित मेघालय राज्य में जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है । यहां यह उल्लेख करना उपयोगी होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 8 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति के संबंध में है, अध्याय 10 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के संबंध में है और अध्याय 11 पुलिस के निवारण कार्य के संबंध में है । स्पष्ट रूप से, अध्याय 8, 10 और 11 के अंतर्गत आने वाले इन विषयों में से कोई भी इस मामले का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत नहीं है । सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 18 के अंतर्गत आता है, जो प्रश्नगत जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है ।

7. संविधान की छठी अनुसूची के अधीन, पैरा 4 और 5 छठी अनुसूची के पैरा 2 में निर्दिष्ट स्वशासी जिलों और स्वशासी क्षेत्रों में न्याय प्रशासन के संबंध में हैं । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पैरा 4(1) यथास्थिति, जिला परिषद् या क्षेत्रीय परिषद् को वहां वादों और मामलों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए न्यायालयों का गठन करने की शक्ति देती है जहां ऐसे क्षेत्रों में उनके सभी पक्षकार अनुसूचित जनजातियों के हैं । तथापि, यह उन वादों और मामलों को लागू नहीं होता है, जो छठी अनुसूची के पैरा 5(1) के अंतर्गत आते हैं, जिसमें राज्यपाल जिला या क्षेत्रीय परिषद् को, या किसी जिला परिषद् द्वारा गठित किए गए न्यायालय या राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकता है, जैसा कि राज्यपाल

उचित समझे । इसके अतिरिक्त, पैरा 4(4) में यह अनुबंधित है कि जिला परिषद् द्वारा गठित किए गए न्यायालयों को, जिला परिषद् या क्षेत्रीय परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना होगा ।

8. प्रस्तुत मामले में, संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 4(4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त खासी-जयंतिया हिल्स स्वशासी जिला (न्याय प्रशासन) नियम, 1953 अंगीकार किए गए थे । इनके अधीन नियम 9 में खासी हिल्स स्वशासी जिला के लिए एक जिला परिषद् न्यायालय के गठन और उसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपबंध किया गया है । नियम 9 और छठी अनुसूची के पैरा 5(1) के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 7 फरवरी, 2017 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी । इसके द्वारा मेघालय के राज्यपाल ने जिला परिषद् न्यायालय, शिलांग के लिए एक अपर न्यायाधीश नियुक्त किया था और उसे भारतीय दंड संहिता या खासी हिल्स स्वशासी जिला परिषद् को लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु से, आजीवन निर्वासन से या 5 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों का विचारण करने की शक्तियां प्रदत्त की थीं ।

9. जिला परिषद् न्यायालय, शिलांग को ऐसी विनिर्दिष्ट शक्तियां प्रदत्त किए जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा किया जाने वाला विवाद्यक यह है कि क्या प्रत्यर्थी के विरुद्ध मामले का विचारण करने की अधिकारिता एकमात्र रूप से जिला परिषद् न्यायालय को है या नहीं ।

9.1 जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, छठी अनुसूची के पैरा 4 में "ऐसे वादों और मामलों का विचारण, जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी पक्षकार अनुसूचित जनजातियों के हैं, राज्य के किसी अन्य न्यायालय का अपवर्जन करते हुए करना अनुध्यात है ।" यद्यपि "वाद और मामले" अभिव्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित नहीं किया गया है, तो भी वर्षों से विकसित सामान्य विधिक बोल चाल की भाषा में दंड प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता में

'वाद' अभिव्यक्ति को विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति की विधिक कार्यवाहियों के अर्थ बोधन में प्रयुक्त किया जाता है जबकि 'मामला' शब्द को किसी सिविल वाद या किसी दांडिक कार्यवाही के अर्थ बोधन में प्रयुक्त किया जाता है ।

9.2 इस बात को दृष्टिगत करते हुए, जब हम याची द्वारा दी गई इस दलील पर विचार करते हैं कि छठी अनुसूची के पैरा 4 में यथा प्रयुक्त 'मामला' शब्द को दांडिक मामलों से केवल इस कारण अपवर्जित किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में राज्य विधित: शिकायतकर्ता होता है, यह प्रतीत होता है कि उनके निर्वचन से यह सुझाव मिलता है कि छठी अनुसूची के पैरा 4 में जिला परिषद् न्यायालय द्वारा दांडिक मामलों का विचारण किया जाना कतई समाविष्ट नहीं है । तथापि, इस बात का समर्थन छठी अनुसूची की स्कीम द्वारा नहीं होता है, जब विनिर्दिष्ट रूप से पैरा 4 और 5 का संयुक्त पठन किया जाए । जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, स्वयं पैरा 4 में उन वादों और मामलों को निर्दिष्ट किया गया है जिनको पैरा 5(1) के उपबंध लागू होंगे । इस प्रकार, पैरा 4 के अधीन "वादों और मामलों" की अंतर्वस्तु की परीक्षा करने के लिए पहले पैरा 5(1) की अंतर्वस्तु पर विचार करना आवश्यक है ।

9.3 पैरा 5(1) के अधीन, राज्यपाल को जिला या क्षेत्रीय परिषद् को, या किसी जिला परिषद् द्वारा गठित किए गए न्यायालयों को, या इस निमित्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदत्त करने की शक्ति विनिहित की गई है, जो वह कतिपय वादों, मामलों और अपराधों के विचारण के लिए उचित समझे । कतिपय दृष्टांतों में दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्तियों के प्रदत्त किए जाने से, जैसा कि यहां तारीख 7 फरवरी, 2007 की अधिसूचना द्वारा किया गया है, यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि जिला परिषद् न्यायालय को दांडिक मामलों को, इस बात के होते हुए कि राज्य ऐसे मामलों में विधित: शिकायतकर्ता होता है और उसे एक जनजाति पक्षकार के रूप में नहीं समझा जा सकता है, ग्रहण करने की अधिकारिता है । वास्तव में, इससे

छठी अनुसूची के पैरा 4 के अधीन 'मामला शब्द' को एक व्यापक अर्थ देने का आशय प्रतिबिंबित होता है ।

9.4. 'मामले' शब्द का ऐसा अनुशीलन करना इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि पैरा 5 में राज्यपाल को केवल उन मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करने के लिए सशक्त किया गया है जहां अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन दंड पांच वर्ष से अन्यून नहीं है । आवश्यक विवक्षा के तौर पर, राज्यपाल पैरा 5(1) में वर्णित निकायों में से किसी निकाय में उन अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्तियों को विनिहित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, जहां दंड पांच वर्ष से कम है । पैरा 5 को पैरा 4 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर अपरिहार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे सभी दांडिक मामले छठी अनुसूची के पैरा 4 के अधीन गठित न्यायालयों द्वारा, इस बात के होते हुए कि राज्य विधित: शिकायतकर्ता होता है, विचारण करने योग्य हैं जब तक कि अभियुक्त और अपराध का शिकार व्यक्ति उसी अनुसूचित जनजाति के हैं ।

9.5 इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, 'मामले' शब्द से दांडिक मामले केवल इस कारण विवर्जित नहीं हो जाते हैं कि ऐसे मामलों में राज्य एक पक्षकार होता है । छठी अनुसूची के पैरा 4 और 5 को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि "ऐसे पक्षकारों के बीच वाद और मामले जिनमें सभी पक्षकार अनुसूचित जनजातियों के हैं," के प्रति निर्देश वास्तव में प्रभावित पक्षकार (विपदग्रस्त/शिकायतकर्ता) और अभियुक्त पक्षकार के लिए है ।

9.6 प्रस्तुत मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विपदग्रस्त तथा प्रत्यर्थी-अभियुक्त दोनों खासी अनुसूचित जनजाति के हैं । इस प्रकार, इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि तारीख 7 फरवरी, 2017 को जारी की गई एक विनिर्दिष्ट अधिसूचना है जो जिला परिषद् न्यायालय को कतिपय दांडिक अपराधों का विचारण करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्तियां प्रदत्त करती है, हमारा यह निष्कर्ष है कि ऐसे प्रदत्तकरण को प्रभावी किया जाना चाहिए । वास्तव में, छठी अनुसूची के पैरा 4 और 5 का संयुक्त अनुशीलन करने पर, ऐसे जिला

परिषद् न्यायालय को ऐसे किसी मामले को ग्रहण करने की अनन्य अधिकारिता है ।

10. पूर्वगामी चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, हम मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 15 दिसंबर, 2017 को पारित किए गए निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध दांडिक मामले को सेशन न्यायाधीश, नोंगस्टोइन, पश्चिमी खासी हिल्स जिला से खासी हिल्स स्वशासी जिला परिषद्, शिलांग के न्यायालय के न्यायाधीश को अंतरित करके न्यायोचित किया था । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तारीख 8 नवंबर, 2017 को अभियुक्त के विरुद्ध मामले को विचारण के लिए सेशन न्यायाधीश, नोंगस्टोइन, पश्चिमी खासी हिल्स जिला के सुपुर्द किया गया था और उसे अपने समक्ष उपसंजात होने के लिए समन किया गया था । इस बात को देखते हुए, अब हम अंतरिती न्यायालय अर्थात् जिला परिषद् न्यायालय को निदेश देते हैं कि अभियुक्त को, यदि वह पहले उपसंजात नहीं हुआ है, नए सिरे से समन जारी किए जाएं और आरोप विरचित करने के पश्चात् विधि के अनुसार विचारण को अग्रसर किया जाए । इसके अतिरिक्त, इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि प्रश्नगत घटना मार्च, 2017 में घटी थी, जिला परिषद् न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि वह यथासंभव शीघ्र मामले का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करे, किंतु इस आदेश की तारीख से एक वर्ष के अपश्चात् नहीं । इन मताभिव्यक्तियों के साथ इस विशेष इजाजत याचिका का निपटारा किया जाता है ।

विशेष इजाजत याचिका का निपटारा किया गया ।

जस.
